9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।

10. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा। निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

12. आवंटी द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार/संचय करने की दशा में मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय मलवा शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि व्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।

13. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

14. शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।

15. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।

16. प्रकरण में पर्यावरण निदेशालय,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं इण्डियन एअरपोर्ट अथारिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र तददिनांक मे प्रस्तुत नहीं है। समिति के निर्णयानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बंधित विभाग से प्राप्त कर नियमानुसार, 06 माह के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में किया गया निर्माण अनाधिकृत निर्माण मानते हुए स्वीकृत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा

19. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–12 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रथम चरण का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् उपविधि 2008 परिशिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जिसे उच्च स्तरीय समिति (सक्षम स्तर) की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा जारी किया जायेगा।

21. मानचित्र स्वीकृति शर्तो का अनुपालन, कियान्वयन, निर्माण विकास एवं अनुरक्षण कार्यो में सुनिश्चित किया जाये। जिसके सम्बंध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

22. शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष उपकर के मद में रू0 90,00,000/– मात्र (रू0नब्बे लाख मात्र) श्रम आयुक्त, कार्यालय लखनऊ में जमा कराकर जमा रसीद/एन0ओ0सी0 की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत की गयी है। श्रम विभाग में पंजीकरण की शर्तों के अनुसार स्थल पर कियान्वयन तद्नुसार सुनिश्चित किया जाना होगा।

सलंग्नकः उपरोक्तानुसार।

1.आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सैट–(19 नग)
2.स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का एक सैट–(10 नग)
3.स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन/रिपोर्ट एक सैट।

भवदीय,

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:– /उक्त / दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–12,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन,लखनऊ को मानचित्रों के एक सैट सहित इस आशय से प्रेषित कि वह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड के अन्दर ही निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा एवं उक्त अंकित शर्त सं0 4 व 5 का अनुपालन किया जा रहा है।
3. उप आवास आयुक्त–सम्पत्ति, वृन्दावन योजना लखनऊ को उक्त अंकित शर्तो के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ उनके अनुमोदन के कम मे प्रपत्र–च सहित।
5. डायरेक्टर,श्रम आयुक्त 23 ए0पी0 सेन रोड, चारबाग, लखनऊ को उनके द्वारा निर्गत पत्र स0 बी/03030/102 दिनांक 29–3–2016 के कम में।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी